एस-14020/07/2020-एससीडी-IV (ई.ओ. 35959)
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
(एससीडी- IV अनुभाग)
*****

विज्ञान भवन सौध
नई दिल्ली-110011
दिनांक: 28.10.2022

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड,
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019।

विषय: **अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ-एससी) (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) की स्कीम हेतु वित्तीय सहायता के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन**

महोदय,

मुझे अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ-एससी) (वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) की स्कीम के लिए दिशानिर्देश एतत् द्वारा संलग्न करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

2. यह अनिवार्य है कि इन दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित किया जाए और स्कीम के अंतर्गत बेहतर कवरेज के लिएइसका पर्याप्त प्रचार किया जाए।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(कामखानमंग पाइटे) 28/10/22
अवर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल आईडी: kamkhanmang.p@nic.in

प्रतिलिपि:

1. एचएमएसजेई के पीएस/एमओएस (आरए) के पीएस/एमओएस (एएन) के अपर पीएस/एमओएस (पीबी) के अतिरिक्त पीएस/सचिव (एसजेई) के पीपीएस/अतिरिक्त सचिव (एसजेई) के पीपीएस/सभी जेएस (एसजेई)/जेएस एंड एफए/ आर्थिक सलाहकार (एसजेई)/डीडीजी (सांख्यिकी) और ईएफसी के सदस्य।
2. एनआईसी सेल, एम/ओ एसजेई को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ। (हिंदी कॉपी शीघ्र ही उपलब्ध होगी)
3. मीडिया अनुभाग को सूचना और व्यापक परिचालन के लिए।

'अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष'संबंधी स्कीम

अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता हेतु संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक)

1. पृष्ठभूमि:

वित्तमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अपने अंतरिम बजट भाषण में 17 फरवरी, 2014 को,अन्यबातोंकेसाथ-साथ,निम्न प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की घोषणा कीः

"अनुसूचित जातियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करने के लिए, आईएफसीआई अनुसूचित जातियों के लिए उद्यमी पूंजी कोष की स्थापना करेगा। मैं 200करोड़ रूपए की प्रारंभिक पूंजी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं,जिसे प्रतिवर्ष अनुपूरित किया जाएगा।"

उक्त आवंटन सामाजिक क्षेत्र के लिए पहलों के अंतर्गत होगा ताकि अनुसूचित जाति में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें रियायती वित्त प्रदान किया जा सके।

2. स्कीम के उद्देश्य:

"उद्यमिता"का संबंधन वाचार तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रति उन्मुख व्यवसायों का प्रबंधन करने वाले उद्यमियों से है। उपर्युक्त कोष का मुख्य प्रयोजनउनउद्यमियों को सहायता प्रदान करना है,जो समाज के लिए दौलत एवं मूल्य का सृजन करेंगे और साथ ही लाभकारी व्यवसाय को बढ़ावा देंगे।

इस स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- यह राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली सामाजिक सेक्टर की पहल है ताकि भारत में अनुसूचित जाति आबादी के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके ।
- नवाचार तथा संवृद्धि प्रौद्योगिकियों के प्रति उन्मुख अनुसूचित जातियों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देना ।
- एससी उद्यमियों द्वारा नए इनक्यूबेशन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों को सहायताव समर्थन प्रदान करना। उद्यम पूंजी स्कीम अनुसूचित जाति उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। तथापि, नवोन्मेषी विचारों की पहचान करनी होगी, उन्हें बढ़ावा देना होगा और उन्हें स्टार्ट-अप में तब्दील करने के लिए उनका समर्थन करना होगा। यह स्थान वर्तमान में अनुसूचित जाति के उद्यमियों

के संदर्भ में अधिकृत नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र जिनके पास बेहतर और नवोन्मेषी विचार हैं, उन्हें नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए, व्यावसायीकरण के चरण परपहुंचने तक ऐसे विचारों को विकसित करने और उनका समर्थन करने की आवश्यकता है।

- अनुसूचित जाति के उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना है, जो समाज के लिए दौलत और मूल्य पैदा करेंगे और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार सृजित की परिसम्पत्तियां आगे/पिछले लिंकेज भी निर्मित करेंगी। इससे इलाके में श्रृंखला का निर्माण होगा।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है और उन्हें अनुसूचित जाति के समुदायों की भावी संवृद्धि हेतु अभिप्रेरित करना है।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों को आर्थिक रूप से विकसित करना।
- भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में वृद्धि करना।

3. अनुमानित एससी उद्यमीजन संख्या:

जनगणना, 2011 के अनुसार,एससी जनसंख्या 20.13 करोड़ है,जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.62% हिस्सा है। हमारी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्कीमों के लिए संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं,जिनके कारण एससी जनसंख्या समृद्ध हो सकती है और उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने के अवसर मिलेंगे।

यद्यपि,एससी उद्यमियों के प्रोफाइल का कोई सही डाटा नहीं है परंतु फिर भी दलित इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री(डीआईसीसीआई)जैसे विभिन्न हितभागियों के अनुमान के अनुसार 1000 दलित उद्यमी हैं,जिनका संयुक्त कारोबार साठ हजार करोड़ रूपए है। लगभग 50 कंपनियां हैं जिनका कारोबार 10 करोड़ रूपए अथवा उससे अधिक है। इसलिए ऐसी कंपनियों को रियायती वित्त प्रदान करने की भारी मांग है जो इन व्यवसायों और उद्यमियों का उत्थान कर सकती है। उनकी क्षमताओं का दोहन करने, उनकी सतत संवृद्धि तथा विकास करने, उन्हें जागरूक बनाने, उन्हें प्रेरित करने, उनकी सहायता करने तथा अंततोगत्वा सही दिशा में उनके प्रयासों को सहारा देने के लिए समुचित कार्य नीतियां बनाना आवश्यक है।

4. कोष की सांकेतिक विशेषताएं:

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
	प्रायोजक एजेंसी का नाम	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

	स्कीम का आकार	प्रारंभिक पूंजी कोष 200 करोड़ रूपए था, आईएफसीआई द्वारा वर्तमान अंशदान तथा भविष्य में भारत सरकार द्वारा कोष के लिए बजटीय सहायता बढाए जाने की पृष्ठभूमिमें भारत सरकार के हिस्से के अनुपात के अनुरूप होगा। तथापि, वास्तविक निर्गम/वितरण कोष से वितरण के निर्धारित सीमा पर पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है। भारत सरकार/आईएफसीआई द्वारा किए गए अंशदान से व्यापक कोष की निधियां उपलबंध होती है। इस बात पर विचार करते हुए निर्धारित सीमा 500 करोड़ होगी कोष से कुल वितरण 80% अंक को छू ले, अथवा जो भी अधिक हो।
	स्कीम की प्रकृति	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम
	स्कीम का ढांचा	कोष को एसईबीआई के अंतर्गत एआईएफ विनियम 2012 के अंतर्गत पंजीकृत और स्थापित किया गया है, जिसके भारत सरकार एंकर निवेशक और आईएफसीआई लिमिटेड प्रायोजक निवेशक के रूप में है।
	परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी(एएमसी)/नोडलएजेंसी का नाम	आईएफसीआई उद्यमपूंजी कोष लिमिटेड
	कोष की अवधि	भारत सरकार के अनुमोदन से 2 अतिरिक्त वर्षों अर्थात 31 मार्च, 2039 तथा 31 मार्च,2041 तक के विस्तार सहित अंतिम समापन की तारीख से 14 वर्ष।
	कोष के अधीन समापन	• प्रारंभिक समापन: 16 जनवरी, 2015 • अंतिम समापन: 31 मार्च, 2025
	आहरण की अवधि	निधिकोष के पूंजीगत अंशदान को 31 मार्च, 2026 तक आहरित किया जा सकता है।
	निवेश की अवधि	*समापन की तारीख से 5 वर्ष* अर्थात 31 मार्च, 2026 तक
	स्कीम की लागत	• कोष का व्यय: निधिकोष का 2% (एक बार), कोष की अवधि पर खर्च किया जाएगा और कोष कॉरपस का अतिरिक्त 0.5% अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) पहल के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, संभावित एससी उद्यमियों को सहायता और सलाह देने की सुविधा हेतु निधिकोष के 0.5% का अतिरिक्त एकमुश्त व्यय रखा

		जा सकता है। इकाइयों की सफलता और धन के वितरण के लिए शुल्क संरचना का लिंकेज मार्च 2024 तक माफ कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि परिणाम (जैसा कि अनुबंध-III में बताया गया है) हासिल कर लिया गया है। मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 तक कोष से उपलब्ध शेष राशि के वितरण का आकलन करेगा और अप्रैल, 2024 में वित्त वर्ष 2023-24 तक उपलब्ध अतिरिक्त कोष को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को अग्रेषित करेगा। वीसीएफ-एससी कोष की सफलता का आकलन भी किया जाएगा। • **एएमसी की प्रबंधन शुल्क:** प्रतिबद्धता अवधि के दौरान (आहरण अवधि तक) के दौरान कुल पूंजी प्रतिबद्धता का 1.5% प्रतिवर्ष की दर से प्रबंधन शुल्क तथा इसके बाद प्रबंधन शुल्क बकाया पूंजी योगदान का 1.5% प्रतिवर्ष होगा।
	निवेशकों को कोषकी वापसीः	• भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों से अंशदान प्राप्त करने के लिए कोष में निवेश इकाइयों के दो प्रकार जारी किए जाएंगे यथा वर्ग'क'इकाई और वर्ग'ख'इकाई। • 200 करोड़ रूपए के प्रारंभिक अंशदान के साथ भारत सरकार और प्रायोजित निवेशक को वर्ग'ख'इकाइयां आवंटित की जाएगी। • अन्य निवेशक(जैसे एल आई सी,जी आई सी,अन्य बीमा कंपनियां और राष्ट्रीयकृत बैंक आदि),यदि कोई अंशदान करते हैं तो उन्हें वर्ग'क'इकाइयां आवंटित की जाएगी। • इकाइयों के मोचन और रिटर्न के भुगतान में भी वर्ग'क'को वर्ग'ख'की तुलना में वरीयता दीजाएगी। • वर्ग'क' इकाई को 10% प्रतिवर्ष के रिटर्न का बाधा दर मिलेगा,शेष कैशफ्लो वर्ग'ख'के पास जाएगा।
	वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं की अनुमानित संख्याः	माना गया है कि लगभग 90* परियोजनाएं और 1250 नए इंक्यूबेशन विचारों तथा एससी द्वारा स्टार्ट-अप विचारों (टीबीआई, आदि के माध्यम से पहचाने गए (ए एस आई आई एम के अंतर्गत) 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) में 350 करोड़ रूपए में से सहायता की जाएगी। उपर्युक्त सौदों की संख्या

		को प्राप्त करने के लिए नीचे दिया गया है: • 5 करोड़ रूपए तक वित्तीय सहायता-75 सौदे* • 5 करोड़ रूपए से अधिक वित्तीय सहायता-15 सौदे* (*आंकड़ों में बदलाव हो सकता है और मामलों की गुणवत्ताऔरउपयुक्तता/व्यवहार्यता के आधार पर अलग-अलग हो सकते है।)
	बदलावः	भारत सरकार के किसी सुझाव,एस ई बी आई की अपेक्षा,कानूनी और कर से संबंधित मुद्दों आदि के अनुसार ऊपर दी गई शर्तें/निबंधन/संरचना अलग-अलग हो सकती है,समय-समय पर आशोधित/संशोधित की जा सकती है।
	ट्रस्ट की अवधि	ट्रस्ट के अंतर्गत स्कीमों के बंद होने के 2 साल बाद अर्थात 21 मार्च, 2043 तक
	निधियों का उपयोग	स्वीकृत/प्रतिबद्ध निधियों तथा व्यय को निधियों के उपयोग के रूप में माना जाएगा।

5.सांकेतिक कार्यान्वयन अवधि तथा प्रचालन के क्षेत्र:

यह स्कीम पूरे देश में कार्यान्वित की जाएगी।

6. स्कीम की सांकेतिक संरचना

पात्रता मानदंड:

कोष के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं:

- प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों में स्थापित किए जा रहे स्टार्ट-अप तथा इकाइयों सहित विनिर्माण, सेवाओं तथा संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं तथा इकाइयों निर्देशित निधियों से दौलत का सृजन सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा।
- कोष के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से कम से कम 30 प्रतिशत महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी;
- 50 लाख रुपए तक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियाः ऐसी कंपनियां जिनमें
    क अनुसूचितजाति के उद्यमियों द्वारा विगत 6 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51% हिस्सेदारी रखी जाती हो अथवा;

ख कोई नई कंपनी बशर्ते की वह नई कंपनी किसी स्वामित्व वाली कर्म अथवा सहभागिता फर्म अथवा एकल व्यक्ति कंपनी अथवा सीमित देयता सहभागिता अथवा 06 माह से अधिक समय से प्रचालनरत ठोस व्यवसाय मॉडल से युक्त प्रर्वत विधि के अधिन निगमित किसी अन्य संस्थापना, जिसमे प्रबंधकीय नियंत्रण से युक्त अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की पूर्ववर्ती कंपनी के पास 51% शेयरधारिता हो की उत्तराधिकारी कंपनी नई कंपनी होगी।

- 50 लाख रुपए से अधिक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियाः ऐसी कंपनियां जिनमें
  - क अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा विगत 12 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण सहित कम से कम 51%हिस्सेदारी रखी जाती है अथवा;
  - ख कोई नईकंपनी बशर्ते की वह नई कंपनी किसी स्वामित्व वाली कर्म अथवा सहभागिता फर्म अथवा एकल व्यक्ति कंपनी अथवा सीमित देयता सहभागिता अथवा 12 माह से अधिक समय से प्रचालनरत ठोस व्यवसाय मॉडल से युक्त प्रर्वत विधि के अधिन निगमित किसी अन्य संस्थापना, जिसमे प्रबंधकीय नियंत्रण से युक्त अनुसूचित जातियों के उद्यमियों की पूर्ववर्ती कंपनी के पास 51% शेयरधारिता हो की उत्तराधिकारी कंपनी नई कंपनी होगी।

- **प्रौद्योगिकी उन्मुख नवोनमेषी परियोजनाओं के लिए:**

क इन्क्यूबेशन निधियन के लिए टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) द्वारा चुने गए इनोवेटिव आइडिया, संचालन और रखरखाव की लागत को कवर करने के लिए संतोषजनक प्रगति के अधीन तीन साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष औसतन 10 लाख रूपए की सीमा के अधीन है।

ख पहली बार अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा कम से कम 51% हिस्सेदारी रखने वाली नई कंपनियां जो प्रौद्योगिकी उन्मुख नवोनमेषीपरियोजनाओं में काम कर रही हैं:

i. आईआईटी, एनआईटी, प्रधान व्यवसाय स्कूल,विश्वविद्यालयों, संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में अवस्थित इंक्यूबेशन केंद्रों की सहायता तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी एल टी) के अंतर्गत एन एस डी ई बी डी अथवा निगम द्वारा समर्थित व वाणिजियकरण की बेहतर संभावना से युक्त परियोजना कार्यान्वयन चरण पर हो;अथवा/तथा;

ii. इंक्यूबेशन केंद्रों के समर्थन के बिना, लेकिन व्यावसायीकरण की बेहतर क्षमता वाले पेटेंट / कॉपीराइट हो तथा परियोजना कार्यान्वयन चरण में हो।

iii. भारत सरकार के विभागों द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद स्वीकृत परियोजनाएं।

ग. 5 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरित सहायता वाली कंपनियों के लिए न्यास/निधि प्रबंधक द्वारा जारी किया गया धन, भारत सरकार के बैंक/विभाग द्वारा जारी ऋण किश्त के अनुपात में होगा, सिवाय उन मामलों के जो ऊपर उल्लिखित प्रौद्योगिकी

बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) द्वारा चयनित नवोन्मेषी विचार श्रेणी के अंतर्गत समर्थित हैं।

- प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उद्यमी द्वारा अनुसूचित जाति होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
- इंक्यूबेशन केंद्रों/निगमों से दस्तावेजी प्रमाण/प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति उद्यमी के नाम से पेटेंट/कॉपीराइट के संबंध में दस्तावेज प्रस्ताव जमा करते समय प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार के विभाग का स्वीकृति पत्र।
- ई-दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे।

स्कीम संबंधी ब्यौरा(सांकेतिक):

वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	स्कीम का उद्देश्य	अनुसूचित जाति के उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना। महिला/दिव्यांग अनुसूचित जाति के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2.	निवेश फोकस	प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों में स्थापित किए जा रहे स्टार्ट-अप तथा इकाइयों सहित विनिर्माण, सेवाओं तथा संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं तथा इकाइयों निर्देशित निधियों से दौलत का सृजन सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा।
3.	वित्तीय सहायता की प्रकृति	(क) शेयरों (सीसीपीएस) (कॉर्पस का अधिकतम 25% तक) निम्नलिखित के अधीन निवेश किया जा सकता है: i. ऐसा निवेश योग्यता मानदंड के अंतर्गत उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली नवोनमेषी प्रौद्योगिकी-उन्मुख परियोजनाओं/ स्टार्ट-अप तक सीमित हो सकता है; ii. एक कंपनी में अधिकतम इक्विटी निवेश 49% हो सकता है, जो अधिकतम 5 करोड़ रूपए के निवेश के अधीन है; iii. ऐसा निवेश लागू कानूनों के अधीन प्रत्येक कंपनी में शेयरों के अंकित मूल्य पर होगा; iv. कोष के अंतर्गत प्रत्येक निवेश में, न्यूनतम 25% निवेश डिबेंचर के रूप में होगा। (ख) अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी), वैकल्पिक परिवर्तनीय

		डिबेंचर (ओसीडी), गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी), आदि। इन विलेखों पर उन सभी कंपनियों के लिए विचार किया जाएगा जो उपर्युक्त श्रेणी 'क' के अंतर्गत नहीं आती हैं। (ग) कुल वित्तीय सहायता में से न्यूनतम 20% सहायता अगले 10 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी अंतराल निधीयन के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसी सहायता आवर्ती प्रकृति की नहीं होगी। इस तरह की सहायता की प्रमात्रा परियोजना की आवश्यकता के अनुसार, मामला-दर-मामला, आधार पर निवेश समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी। निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीनकोष के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को भी ऐसी सहायता प्रदान की जा सकती है: i. खाता मानक होना चाहिए। ii. लाभार्थी कंपनी को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए राष्ट्रीयकृत/निजी/सहकारी बैंकों को आवेदन करना होगा और स्वीकृत सहायता या तो परियोजना के नकदी प्रवाह अनुमानों के अनुसार आवश्यक से कम करे अथवा ऐसे बैंकों ने व्यवहार्यता के अलावा किसी अन्य आधार पर सहायता से इनकार किया हो। यह सहायता कोष के समग्र निधियन पैटर्न के भीतर होगी।
4.	वित्तीय सहायता की अवधि	डिबेंचर के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक। इक्विटी के मामले में, बाहर निकलने का निर्णय, मामला-दर-मामला आधार पर, अधिकतम 10 वर्ष तक के कार्यकाल के साथ लिया जाएगा।
5.	मूलधन पर अधिस्थगन	डिबेंचर के मामले में, मामला दर मामला आधार पर, लेकिन निवेश की तारीख से 36 महीने से अधिक नहीं । ब्याज भुगतान कंपनी में निवेश की तारीख से निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर शुरू होगा।
6.	निवेश का आकार	10 लाख रूपए से 15 करोड़ रूपए । कुल सहायता कंपनी की चालू निवल संपत्ति के दो गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7.	निवेश के माध्यम से अपेक्षित रिटर्न	(क) इक्विटी निवेश में, बायबैक/रणनीतिक निवेश/आईपीओ के माध्यम से बर्हिगमन के समय रिर्टन 4% प्रति वर्ष होगी। (ख) ऋण/परिवर्तनीय लिखत - 4% प्रति वर्ष (महिलाओं*/दिव्यांग** उद्यमियों के लिए - 3.75% प्रति वर्ष)

		[* अनुसूचित जाति महिला उद्यमी के स्वामित्व वाली कंपनी पर विचार करने के लिए, अनुसूचित जाति महिला उद्यमी के पास कंपनी में कम से कम 51% शेयरधारिता होनी चाहिए और वह कंपनी की प्रबंध निदेशक होनी चाहिए; **दिव्यांग उद्यमियों के मामले में, दिव्यांग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।] निधि प्रबधक यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति को उद्यम के लिए फ्रंट्स के रूप में दुरूपयोग नहीं हो विशेष सावधानी व उचित परिश्रम करेगा।
8.	निधियन पैटर्न	कोष के अंतर्गत निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा: • **5 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता** - इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश परियोजना लागत के अधिकतम 75% तक और शेष 25% परियोजना लागत का वित्त पोषण प्रमोटरों द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी / अनुदान के माध्यम से किया जाएगा। उन मामलों में जहां सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है, प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान देना होगा। • **5 करोड़ रूपए से अधिक की वित्तीय सहायता** - इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक वित्त पोषित किया जाएगा। परियोजना लागत का कम से कम 25% केंद्र अथवा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रमोटरों द्वारा अथवा सरकारी सब्सिडी / अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, और परियोजना लागत का शेष 25% अथवा तो प्रमोटरों द्वारा अथवा बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है। उन मामलों में जहां सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है, प्रमोटरों को परियोजना लागत का कम से कम 15% अंशदान देना होगा। * भविष्य में प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के विस्तार चरण के दौरान निजी क्षेत्र के वीसी फंडों द्वारा सह-निवेश के तालमेल का पता लगाया जा सकता है।
9.	पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण	निवेश समिति द्वारा, मामले-दर-मामला आधार पर, शामिल व्यवहार्यता और मुद्दों के आधार पर मामलों (दबाव के मामलों सहित) में पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण की अनुमति दी जा सकती है। कोष मैनेजर

		अपनी वेबसाइट पर एक सर्कुलर जारी करेगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के प्रस्तावों के संबंध में पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण में शामिल सभी मुद्दों साथ-साथ उन परिस्थितियों, जिनमें पुनर्गठन / पुनर्निर्धारण लागू होगा,को स्पष्ट किया जाएगा।
10.	निकास तंत्र	परिचालन से बाहर भुगतान/बायबैक/प्रोमोटरों/कंपनियों द्वारा छूट, रणनीतिक निवेश, स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग अथवा किसी अन्य निकास प्रक्रिया के माध्यम से बर्हिगमन। वित्तीय सहायता की प्रकृति और कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग मामलों के आधार मेंबर्हिगमन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
11.	सुरक्षा	निवेश के दौरान निम्नलिखित प्रतिभूतियों की परिकल्पना की जा सकती है: • स्कीम के अंतर्गतवित्तपोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपतियों को सुरक्षा के लिए प्रभारित किया जाएगा। परियोजना की संपत्ति में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी और लाइसेंस/पेटेंट पर अधिकार शामिल होंगे। • मामला दर मामला आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ ऋण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास परिसंपत्तियों पर समान प्रभार। • बैंकों/एफआई के पास ऋण हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में बैंकों/एफआई की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार होगा। • प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों और कम से कम 26% हिस्सेदारी बनाने और जारी और प्रदत्त पूंजी के 51% तक की शपत-पत्र ली जाएगी। हालांकि, गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत, मामला दर मामला आधार पर, तय किया जाएगा। • परिसंपतियों पर प्रभार के अतिरिक्त, उत्तर-दिनांकित चेक (पीडीसी)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) और वचन पत्र लिए जाएंगे। • बायबैक समझौते के साथ प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी दर्ज की जाएगी। • यदि परियोजना भूमि के रूप में कोई बंधक उपलब्ध नहीं है, तो उधारकर्ता संपार्श्विक प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर सकता है।
12	परियोजना को पूरा करने की समय सीमा	(क) स्कीम के अंतर्गत सहायता की पहली किस्त के वितरण की तारीख से अधिकतम 24 महीने की अवधि के भीतर, परियोजना के पूरा होने का समय मंजूरी चरण में परिकल्पित

		होगा, यदि देरी के कारणों को एएमसी द्वारा उचित माना जाता है जिसे आगे 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। (ख) कार्यान्वयन अनुसूची का अनुपालन न करने की स्थिति में, स्वीकृत राशि का अतिरिक्त शेष संवितरण निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।
13	चयन प्रक्रिया	• स्कीम के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव दो समितियों और चार चरणों से होकर गुजरेगा: (क) **अनुवीक्षण समिति (प्रारंभिक चरण):**क्या प्रस्ताव पात्रता मानदण्ड एवं प्राथमिक मूल्यांकन मानदण्ड पूरा कर रहे है। इसकी प्रारंभिक जांच करने के लिए उन्हें अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखा जाएगा। प्रस्तावों को अनुवीक्षण समिति के सामने रखा जाएगा, अनुवीक्षण समिति की मंजूरी के बाद, प्रस्ताव पर विस्तृत मूल्यांकन, बातचीत और संरचना के लिए विचार किया जाएगा। **(ख) निवेश समिति (अंतिम चरण):** i. पात्र प्रस्तावों के मामले में स्वीकृति के लिए निवेश समिति द्वारा एएमसी द्वारा तैयार किए गए विस्तृत प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ii. वित्तपोषण करने वाले बैंकरों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूल्यांकित प्रस्ताव भी एएमसी के संदर्भ के लिए अपना मूल्यांकित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। iii. सहायता की प्रमात्रा इस समिति द्वारा तय की जाएगी। (ग) **कानूनी दस्तावेज चरण:** निवेश समिति द्वारा मंजूरी के बाद, निवेश कंपनी को मंजूरी के नियमों और शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। आवश्यक कानूनी दस्तावेज एएमसी द्वारा तैयार और निष्पादित किए जाएंगे। (घ) **संवितरण चरण:**उपर्युक्त प्रक्रिया के पूरा होने के बाद संवितरण स्वीकृति के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। यदि लाभार्थी चाहे तो निवेशिती कंपनियों को संवितरण एक लॉट में किया जाएगा। इसके अलावा कोष सीधे लाभार्थी/कार्यान्वयन एजेंसी के खाते में जारी की जाएगी। निवेशिती कंपनियों को

		संवितरण किश्तों में किया जाएगा। उन कंपनियों के लिए जहां बैंक/वित्तीय संस्था/सरकार के विभाग से मंजूरी मिली है, एएसआईआईएम के अंतर्गत समर्थित मामलों को छोड़कर भारत सरकार के बैंकों/विभाग द्वारा जारी ऋण किश्त/जारी सब्सिडी के अनुपात में न्यास/निधि प्रबंधक द्वारा निधि जारी की जाएगी। कुल परियोजना लागत के लिए वीसीएफ-एससी के योगदान का संवितरण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के एस्क्रो खाते के माध्यम से किया जाएगा।
14.	अनुवीक्षण समिति / निवेश समिति	• निवेश समिति/अनुवीक्षण समिति में एनएसएफडीसी, आईएफसीआई/आईएफसीआई वेंचर द्वारा नामित प्रतिकोष और बाहर से पर्याप्त अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ शामिल होगा। • अनुवीक्षण समिति में नामित कोई भी प्रतिकोष निवेश समिति का प्रतिकोष नहीं होगा। • प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण करने के लिए अनुवीक्षण समिति की मासिक/नियमित आधार पर बैठक होगी। • (आईएफसीआई) का संचालन संबंधी मामलों जैसे विक्रेताओं के चयन आदि से कोई लेना-देना नहीं होगा।
15.	निगरानी	• एएमसी के अधिकारी द्वारा समय-समय पर दौरा, निरीक्षण किया जाएगा। एएमसी के अधिकारी इन कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक भी होंगे। • स्कीम के कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करने के लिए आईएफसीआई वेंचर और मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाएगी।
16.	परिवर्तन	• मामले-दर-मामले आधार पर, उपर्युक्त शर्तों के नियम/संरचना भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन हो सकते हैं। • यह स्कीम विभिन्न क्षेत्रों के लिए सेवापूर्ति कर रही है; स्कीममें 6 महीने से 1 वर्ष के बाद संशोधन किया जा सकता है/समीक्षा की जा सकती है।

7.**सौदास्रोत नीति:**

- प्रस्ताव,प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, वेबसाइड आदि के माध्यम से विज्ञापनों/प्रकाशनों के जरिए आमंत्रित किए जाएंगे।

- अनुसूचित जाति उद्यमियों के लिए उद्यमपूंजी कोष की शुरूआत को अन्य संस्थानों/बैंकों/निवेश बैंकरों/अन्य वीसी की जानकारी मेंला या जाएगा ताकि वे अनुसूचित जाति श्रेणी के अपने मौजूदा ग्राहकों को सूचित और प्रोत्साहित कर सकें।
- ऐसे उद्यमियों द्वारा सीधे प्राप्त प्रस्ताव पर पात्रता मानदंड के अध्यधीन विचार किया जाएगा।
- दलित भारतीय वाणिज्य चैम्बर और उद्योग(डीआईसीसीआई)से संपर्क करना और इसके विविध अध्यायों का अध्ययन करना।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थाओं,जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम(एनएसएफडीसी)और अनुसूचित जातियों के लिए अन्य राज्य वित्त संस्थाओं से संपर्क करना।
- व्यापार मेला/प्रदर्शनी/सेमिनार का आयोजन करना।
- आईएफसीआई और अन्य संस्थानों द्वारा संस्थापित तकनीकी परामर्शदाता संगठन(टीसीओ),जिनका प्राथमिक उद्देश्य नए उद्यमियों को तकनीकी परामर्श देना है,उनको यह सलाह दी जाएगी कि वे अनुसूचित जाति के उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त करें। वे इस कोष को भी लोकप्रिय बनाएंगे औरउद्यमियों की मदद करेंगे।

8. अनुमान्य बाध्यताएं/अनिश्चिताएं:

क्र.सं.	बाध्यताएं	प्रभाव
1	**सौदे का स्रोत**	अनुसूचित जाति के पात्र उद्यमियों का चयन करना एक चुनौती भरा कार्य होगा।
2	**निवेश जोखिम**	• परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब • निवेशित(इनवेस्टिड)कंपनी द्वारा किसी प्रतिलाभ/मूलधन की अदायगी न करना।
3	**बर्हिगमन**	जो कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हैं उनसे निकासी एक चुनौती होगी।
4	**प्रतिभूति का प्रवर्तन**	चूक करने के मामले में,अनुसूचित जाति के उद्यमियों की अचल प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में कठिनाई होगी।

9. शिकायत निवारण तंत्र

वीसीएप-एससी स्कीम की शिकायतों के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र हेतु, एक अंतर मंत्रालयीय समिति निम्नानुसार है।

i. निदेशक/उप-सचिव (वीसीएफ-एससी के प्रभारी), एमओएसजेई विभाग,
ii. सीएमडी, एनएसएफडीसी
iii. निदेशक/उप-सचिव (सर्तकता), एमओएसजेई विभाग,

iv. निदेशक/उप-सचिव (आफएफसीआई के प्रभारी), वित्तीय सेवाएं विभाग

v. मुख्य/एमडी, आइएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड यह कार्यान्वित एजेंसी (आईएफसीआई) स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण तेंत्र के बाहर है।

10. अन्य शर्तें:

- आवेदन स्तर से मंजूरी स्तर तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और आईएफसीआई द्वारा समुचित ट्रेकिंग प्रणाली कार्यान्वित की जाएगी।
- आवेदन पत्र के स्तर से मंजूरी स्तर तक(अर्थात निवेश समिति के अंतिम निर्णय तक)किसी निवेश प्रस्ताव की परिपक्वता हेतु अपेक्षित अनुमानित समयावधि इक्विटी प्रस्तावों के लिए लगभग 3-4 महीने होगी और इक्विटी से जुड़े ऋण प्रस्तावों के लिक 2-3 महीने होगी।
- सभी सौदो की माल-सूची का रखरखाव करना।
- जब कभी भी अपेक्षित हो,भारत सरकार को कार्य-निष्पादन/अन्य की रिपोर्टिंग करना।
- इस स्कीम में आवश्यक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं वार्षिक रूप से अपनाई जाएंगी।
- निगरानी के बाद की कार्यकलापों और नियमित अद्यतनों से समितियों/बोर्डों को अवगत कराया जाएगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका उद्यम को सलाह देने और मासिक आधार पर प्रगति और उपयोग की निगरानी करना होगी।
- दाण्डिक प्रावधान: परियोजनाओं जहां उद्यमियों/कंपनी आदि द्वारा परियोजनाओं के गैर कार्यान्वयन/निधियों का गमन/बकाया राशि का भुगतान नहीं करना आदि है वहां मौजूदा ब्याज दर से 2%अधिक का दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। तथापि, ऐसे मामले में कंपनियों को 6 महीने के लिए विंडो दी जा सकती है।
- यूसी की रसीद, जहां लागू है,जीएफआर, 2017 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप होनी चाहिए।

<u>आईएफसीआई उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड</u>

प्रारंभिक मूल्यांकन

कंपनी का नामः	
स्थानः	
(पंजीकृत कार्यालय/प्रशा. कार्यालय)**:**	
सौदों की प्राप्ति का माध्यमः	
पृष्ठभूमिः	
प्रस्तवित परियोजना और स्थानः	
उपयोग की गई कोष का क्षेत्रः	
संवर्धकः	
वर्तमान वित्तीय संरचनाः	

अनुबंध- I

आईएफसीआई उद्यमपूंजी निधि लिमिटेड

परियोजना के विवरण प्रस्तुत करने का प्रारूप

1. **परियोजना की मुख्य विशेषताएं:** विवरण लिखें।

ब्यौरा	**विवरण**
कंपनी का नाम	
निगमन की तारीख	
सीआईएन नंबर	
पैन नंबर	
पंजीकृत कार्यालय / कॉर्पोरेट कार्यालय	
निर्माण इकाई/कारखाना स्थान	
प्रस्तावित परियोजना	
प्रस्तावित स्थापित क्षमता	
संवर्धक	
क्षेत्र	
उद्योग	
मौजूदा बैंकर	
लेखा परीक्षक	

2. **कंपनी का विवरण**

2.1 **पृष्ठभूमि:-** कंपनी की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, अनुभव, उपलब्धियां, आदि

2.2 संवर्धक:- संवर्धकों का विवरण, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव, उपलब्धियां आदि।

2.3 कोई पुरस्कार और प्रमाणन: विवरण लिखें।

2.4 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति: विवरण लिखें।

2.5 पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

- **आज की तारीख में पूंजी संरचना:**विवरण लिखें।

क. **अधिकृत पूंजी**	**राशि (रूपए में)**
10/- रूपए के इक्विटी शेयर-प्रत्येक	

ख. **जारी, अभिदान और भुगतान प्रदत्त पूंजी**	
10/- रूपए के इक्विटी शेयर, पूरी तरह से भुगतान प्रदत्त	

- **आज की तारीख के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न :** विवरण लिखें।

शेयरधारक का नाम	शेयर की संख्या	पूंजी की राशि (रु.)	शेयरधारिता (%)
कुल			

टिप्पणी: *..... % कंपनी पिछड़ा वर्ग के संवर्धकों के पास है।* ***जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।***

2.6 संवर्धकों/गारंटरों की निवल संपत्ति का विवरण: विवरण लिखें।

क्र.सं.	नाम	पैन	जन्म तिथि	निवल मूल्य (रूपए में)
1				
2				
	कुल			

नोट: *संवर्धकों के नवीनतम सीए प्रमाणित निवल मूल्य प्रमाण पत्र जमा करें*

2.7 कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति

- **पिछले 3 वर्षों के लिए लाभ और हानि विवरण:** विवरण लिखें

			लाख रूपए में
विवरण	**वित्तीय वर्ष ___ (लेखा-परीक्षा)**	**वित्तीय वर्ष___ (लेखा-परीक्षा)**	**वित्तीय वर्ष___ (लेखा-परीक्षा)**
राजस्व / बिक्री			
व्यय			
अन्य खर्च			
ब्याज भुगतान			
मूल्यह्रास			
पीबीटी			
कर			
पीएटी			

- **पिछले 3 वर्षों** का तुलन-पत्र : विवरण लिखें।

			लाख रूपए में
विवरण	**वित्तीय वर्ष__ (लेखा-परीक्षा)**	**वित्तीय वर्ष__ (लेखा-परीक्षा)**	**वित्तीय वर्ष__ (लेखा-परीक्षा)**
देयताएं			
निधियों के कुल स्रोत			
संपत्तियां			
निधियों का कुल उपयोग			

2.8 बैंकों की हिस्सेदारी/उधार व्यवस्था: विवरण लिखें।

कंपनी ने ..... से सुविधाओं का लाभ उठाया है। विवरण नीचे दिया गया है:

संस्थान/बैंकों का नाम	**सुविधा (साल)**	**राशि सं. (रूपए लाख में)**	**ब्याज दर (%)**	**संवितरित राशि (लाख रूपए में)**	**ओ / एस ऋण राशि। आज की तारीख में**	**बनाई गई सुरक्षा**
	कुल					

3. प्रस्तावित परियोजना, स्थान और कार्यान्वयन कार्यक्रम :

3.1 प्रस्तावित परिस्कीम के बारे में वर्णन लिखें।

3.2 स्थापित क्षमता: वर्णन लिखें।

उत्पादन क्षमता	**विवरण**
पूर्ण / 100% परिचालन क्षमता	
संचालन क्षमता	

3.3 उत्पाद: उत्पादों के ब्यौरा और विवरण के बारे में लिखें।

3.4 कच्चा माल और उसकी आपूर्ति:

- कच्चे माल के ब्यौरा और विवरण के बारे में लिखें;
- स्थान में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं की सूची के बारे में लिखें;

3.5 जनशक्ति : जनशक्ति की आवश्यकता के विवरण के बारे में लिखें।

***3.6* <u>परियोजना स्थान</u> :** भूमि दस्तावेज, क्षेत्र आदि सहित भूमि का विवरण जमा करें।

संयोजकता	**लगभग दूरी (किमी में)**
रेलवे	
एयरपोर्ट	

3.7 उपयोगिताएं: उपयोगिताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- बिजली की आवश्यकता और स्रोत: विवरण लिखें।
- पानी की आवश्यकता और स्रोत: विवरण लिखें।

3.8 अनुमतियाँ और अनुमोदन: संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों और अनुमोदनों का विवरण:

3.9 कार्यान्वयन कार्यक्रम : विवरण लिखें।

गतिविधि	**समापन अवधि**
भूमि एवं विकास	
भवन निर्माण एवं प्रीफैब शेडिंग कार्य	
मशीन ऑर्डरिंग	
मशीनरी की आपूर्ति	
कार्य-स्थल पर पर परीक्षण/संस्थापन/निर्माण एवं लोकार्पण	
पायलेट संचालित/कच्चा माल का स्रोत	

4. **परियोजना लागत:** विवरण लिखें।

		लाख रूपए में
विवरण	**परियोजना की लागत**	**परियोजना में पहले ही खर्च हो चुकी राशि**

भूमि / भूमि विकास		
तकनीकी सिविल कार्य (भवन)		
संयंत्र और मशीनरी (संपूर्ण इकाई स्थापना)		
विद्युतीकरण लागत		
फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर, आदि।		
कोई अन्य लागत (विपणन, आदि)		
कुल निश्चित लागत		
संचालन-पूर्व व्यय		
कार्यशील पूंजी मार्जिन		
निर्माण अवधि के दौरान ब्याज		
परियोजना की कुल लागत		

नोट: *उपर्युक्त परियोजना लागत प्रारूप निर्माण इकाई प्रस्तावों के लिए है। आप निर्दिष्ट परियोजना के अनुसार प्रारूप बदल सकते हैं। सेवा/किसी अन्य संबद्ध परियोजनाओं के लिए परियोजना विवरण के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन किया जा सकता है।*

5. **परियोजना लागत वस्तुओं की पूर्ण सूची और विवरण (*उद्धरणों के साथ*):** विवरण लिखें।
6. **वित्त के साधन:** विवरण लिखें।

			लाख रूपए में
विवरण	**निधि जुटाने की राशि**	**% शेयरिंग**	**परियोजना में पहले ही जुटाई गई राशि**
इक्विटी में संवर्धक का योगदान			
वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया			
कुल			

7. **बाजार, प्रतिस्पर्धा और उद्योग अवलोकन:** विवरण लिखें।
8. **विपणन रणनीति:** विवरण लिखें।
9. **स्वोट विश्लेषण:** विवरण लिखें।
10. **अनुमान (10 वर्षों के लिए) - वित्तीय अनुमानों की *एक्सेल शीट जमा* करें:** विवरण लिखें।
    - **लाभ और हानि विवरण:**
    - **तुलन-पत्र:**

- **डीएससीआर की संगणना:**

11. **जोखिम विश्लेषण:** विवरण लिखें।
12. **वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली सुरक्षा का विवरण:** विवरण लिखें

अनुबंध-II

समुचित निष्ठा मॉड्यूल

I. कंपनी के वैधानिक दस्तावेज

(क) संगठन चार्ट

(ख) कंपनी संविदा (स्वामित्व/किराया/ऋण/परामर्श/वारंटी/आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/प्रतिनिधित्व)

(ग) शेयर धारित पद्धति

(घ) आनुषंगिक शाखाओं/कार्यालयों की सूचना

(ङ) जे.वी., सहयोग, टाई-अप

(च) एमओए, एओए

(छ) पंजीकरण का प्रमाणपत्र

(ज) व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र

(झ) कंपनी का नवीनतम टेलीफोन बिल

II. बाजार और प्रतियोगिता

(क) उत्पाद वर्णन

(ख) तकनीकी

(ग) बाजार/उद्योग विश्लेषण

(घ) प्रतियोगिता विश्लेषण

(ङ) ग्राहक

(च) विपणन कार्यनीति, वितरण नेटवर्क, बिक्री प्रयासों के 13 संगठन, बिक्री के आंकड़े

III. व्यापार मॉडल और रणनीति

(क) लक्ष्य-प्रदर्शन तुलना एवं मूल्यांकन

(ख) कंपनी प्रोफाइल/इतिहास/बिजनेस मॉडल और व्यापार क्षेत्र

(ग) स्त्रोत/क्रय (कच्चा माल), प्रदायक सूचना

(घ) उत्पाद प्रक्रिया, अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप, उप-ठेकेदार

(ङ) निर्यात दर, उद्धृत मुद्रा, मुद्रा जोखिम

IV. प्रबंधन और संगठन

(क) प्रबंधन/बोर्ड प्रोफाइल और पारिश्रमिक/अनुबंध

(ख) निदेशक-बोर्ड प्रोफ़ाइल/संवर्धक की पृष्ठभूमि और पारिश्रमिक/निर्भरता/अनुबंध, संवर्धकों का पैन नंबर, पहचान प्रमाण-पत्र, पिछले 3 वर्षों के लिए संवर्धकों की आईटी रिटर्न।

(ग) मानसिकता / टीम की गतिशीलता

(घ) निगम संबंधित शासन प्रणाली, एमआईएस

(ङ) नियंत्रण, आंतरिक रिपोर्टिंग

(च) परियोजना प्रबंधन, उत्पाद प्रबंधन, कर्मचारियों की भागीदारी (टीक्यूएम/टीपीएम/सीआईपी)

(छ) जोखिम प्रबंधन और प्रशम योजनाएं/ गुणवत्ता मानक

(ज) इक्विटी, कॉर्पोरेट कार्रवाइयां, निष्क्रिय भागीदार

V. वार्षिक रिपोर्टें और वित्तीय डेटा

(क) लेखाकरण सॉफ्टवेयर, प्रवाह चार्ट, लिक्विडिटी योजना के लिए प्रक्रियाएं, मूल्यह्रास पद्धति एवं प्रक्रिया उपकरण

(ख) समूह कंपनियों सहित पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट

(ग) संपत्ति अनुसूची, मूल्यह्रास अमूर्त संपत्ति

(घ) आईपी अधिकार, लाइसेंस, एनडीए, विवाद

(ङ) संपत्ति के अधिकार, प्रमुख संपत्ति

(च) देनदारों की सूची, ऋण की मात्रा, क्रेडिट रेटिंग

(छ) नकद पूलिंग समझौते

(ज) प्रोद्भवन, पेंशन देनदारियों की सूची

(झ) पी एंड एल- स्टेटमेंट (पुन: उत्पाद, ग्राहक, व्यावसायिक इकाइयां, क्षेत्र)

(ञ) गतिविधि आधारित लागत/प्रबंधन (एबीसी/एम)

(ट) आकस्मिक देयताएं

(ठ) भूमि का पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो

(ड) लाभांश अदा किया

(ढ) मूल्यांकन का आधार

(ण) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

VI. व्यापार योजना की समीक्षा

(क) अनुमानित वित्तीय योजना (पी एंड एल, तुलन-पत्र, नकद प्रवाह)

(ख) बिक्री योजना (उत्पाद, बाजार)

(ग) उत्पाद योजना

(घ) एचआर योजना

(ङ) निवेश योजना

(च) लिक्विडिटी योजना

(छ) अन्य, अंतर्निहित धारणाएं

(ज) धन जुटाने और उपयोग की समय सीमा।

VII. कार्यबल और कर्मचारी लाभ

(क) कर्मचारियों और पारिश्रमिक की सूची

(ख) उच्चतम स्तर की कमाई वाले कर्मचारियों की विस्तृत सूची
(ग) कंपनी खातों तक पहुंच वाले कर्मचारियों की सूची
(घ) एचआर अनुबंध
(ङ) कर्मचारी लाभ कार्यक्रम और लागत
(च) पिछले वर्षों के मापदंडों को घटाना

VIII. अन्य

(क) आपूर्तिकर्ता, भागीदार, समझौता ज्ञापन यदि कोई हो, अनन्य अधिकार आदि।
(ख) बीमा
(ग) उत्पाद की देयता
(घ) पर्यावरण के मुद्दे/प्रदूषण स्तर
(ङ) अधिकारियों के साथ संपर्क
(च) महत्वपूर्ण व्यावसायिक विकास
(छ) कानूनी विवाद/आरोप/कंपनी/प्रवर्तकों के खिलाफ आरोप यदि कोई हों
(ज) भूमि पट्टे के कागजात
(झ) चल रहे कानूनी मुकदमों पर शपथ-पत्र, यदि कोई हो या नहीं
(ञ) एक ही तकनीक का उपयोग करने वाले दो लोगों/ग्राहकों के संपर्क संदर्भ
(ट) कोई अन्य जानकारी, यदि कोई हो

IX. लेखा निरीक्षण

1. लेखाकरण की प्रणाली (दस्ती रूप से, टैली, एसएपी आदि)।
2. स्रोतों और निधियों के उपयोग के लिए सीए प्रमाणपत्र।
3. लेखा बही के साथ निधियों के स्रोत/रसीद की जाँच करें।
4. बैंक विवरण और खाता बही/सीए प्रमाणपत्र के साथ शेयर आवेदन राशि की रसीद।
5. शेयर पूंजी खाते (बहीखाता) मिनट बुक/आरओसी रिटर्न और शेयर रजिस्टर की जांच करने के लिए।
6. ऋण की मंजूरी और संवितरण: संस्था/बैंक के आशय पत्र से लेकर बैंक विवरण/सीए प्रमाणपत्र के साथ संवितरण जानकारी।
7. बैंक समाधान विवरण।
8. नकद भुगतान प्रणाली की जाँच करें।
9. संवर्धकों से ऋण: सुरक्षित अथवा असुरक्षित।
10. लेखा बही में अन्य कोई बड़ी प्राप्ति।
11. भूमि पर व्यय: स्रोत, यदि नकद में अथवा शेयर पूंजी के बदले भुगतान किया है, यदि शेयर पूंजी या शेयर आवंटित है अथवा अन्यथा।
12. भूमि विकास पर व्यय, भवन, चारदीवारी, सड़क आदि पर व्यय।

13. संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम किया गया अथवा पूर्ण भुगतान।
14. अचल/चल संपत्तियों की खरीद सहित बिलों/चालानों/क्रियदेशों से सत्यापित करने के लिए 9 से 11 तक के व्यय और खातों की पुस्तकों/बैंक विवरण से सत्यापित करने के लिए भुगतान।
15. अचल संपत्तियां के लिए प्रविष्टियों को सत्यापित/जांचने के लिए अचल परिसंपत्ति रजिस्टर।
16. बही खाते बैंक विवरण, वाउचर, सहायता के प्रचालन पूर्व व्यय की जांच।
17. सभी अचल/चल संपत्ति के लिए बीमा कवर।
18. सभी सांविधिक देय राशि, रिटर्न (3 साल के लिए आयकर, पीएफ, आरओसी, वैट, सेवा कर आदि) की कटौती और भुगतान की जाँच (कंपनी से एक प्रमाण पत्र लें) करना।
19. आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो।
20. 2/3 पिछले वर्षों की तुलन-पत्र, यदि उपलब्ध हो।
21. निदेशक मंडल की नियुक्ति (एमडी, पूर्णकालिक निदेशकों को वेतन/भत्तों के भुगतान के लिए)।
22. आकस्मिक देयताएं, कंपनी द्वारा दी गई गारंटी।
23. कंपनी द्वारा और कंपनी और निदेशक के खिलाफ दायर मुकदमे।

*स्रोतों और निधियों के उपयोग के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी

**बैंक विवरण और बही खातेके साथ पुन: जांच।

अनुबंध- III

आउटपुट और परिणाम निगरानी संबंधी विवरण:

अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी) (सीएस)						
वित्तीय परिव्यय (करोड़ रूपए में)	**आउटपुट**			**परिणाम**		
	आउटपुट	**संकेतक**	**लक्ष्य**	**परिणाम**	**संकेतक**	**लक्ष्य**
पहली तिमाही **दूसरी तिमाही** तीसरी **तिमाही** **चौथी तिमाही**	1. अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता	1.1 स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जातिके उद्यमियों की संख्या		1. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संख्या	वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के उद्यमियों की संख्या में वृद्धि	**पहली तिमाही** **दूसरी तिमाही** तीसरी **तिमाही** **चौथी तिमाही**

अनुबंध- IV

अगले 5 वर्षों के लिए वीसीएफ-एससी के अंतर्गत पूर्वानुमान

वर्ष	5 करोड़ रूपए तक वित्तीय सहायता के साथ सहायता हेतु प्रस्तावित कंपनियों की संख्या:	5 करोड़ रूपए से अधिक वित्तीय सहायता के साथ सहायता हेतु प्रस्तावित कंपनियों की संख्या:	एससी (टीबीआई, आदि के माध्यम से पहचाने गए) द्वारा समर्थित नए इनक्युबेशन विचारों और स्टार्ट-अप विचारों की प्रस्तावित कंपनियों की संख्या
2021-22	15	3	250
2022-23	15	3	250
2023-24	15	3	250
2024-25	15	3	250
2025-26	15	3	250